1554

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

आन्लीमाहु रिमाण्ड 25/9/2019

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

देवकरण पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर व अन्य बनाम कैलाश पुत्र मोहन जाति कुमावत व अन्य

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 342/2019 सन् 2019 ( ) किशनगढ़ (उदयपुरकलां)

2019/00342

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री शाहबुद्दीन खान, एडवोकेट श्री	
25/9/19	यह अपील श्री शाहबुद्दीन खान एड़वोकेट ने विद्धान उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ के आदेश दिनांक 13.09.2019, प्रकरण संख्या 140/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई । अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र व अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी वाकै ग्राम उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 की संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग की रही है। जिसमें अपीलांट का 1/24 बतौर खातेदार के रूप में इन्द्राज है एवं अपीलांट के पिता का राजस्व अभिलेख में 1370/7475 हिस्सा दर्ज है। मूल खातेदार भंवर लाल के फौत होने पर विरासतन नामान्तकरण अपीलांट के नाम इन्द्राज होना शेष है पैतृक खातेदार भंवरलाल के अपीलांट ही एक मात्र वारिस हैं मृतक खातदेार का 1370/7475 में सभी अपीलांट का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है जिनका सजरा आवेदन की चरण संख्या 02 में उल्लेखित किया गया तथा उपरोक्त में भंवर लाल पुत्र मोती के फौत होने से अपीलांट की भंवरलाल के हिस्से में बराबर–बराबर खातेदार घोषित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर दिनांक 08.07.2018 को स्थगन आदेश जारी करते हुए मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 08.08.2019 तक पाबंद किया गया तथा दिनांक 13.09.2019 को अंतरिम स्थगन आदेश की अवधि न बढ़ाते हुए अपीलांट के पक्ष में जारी अंतरिम स्थगन आदेश का अपास्त करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण/अपीलांट के पूर्वजों की आराजी है और पूर्वजो से लेकर आज तक कब्जा काश्त अपीलांट का है यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्टस विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं और रेस्पोडेन्टस को पाबंद नहीं किया गया तो वे अपने गैर कानूनी कृत्य में सफल जो जाते है और आराजी को अन्यत्र बेचान कर देगे तो अपीलांटस को अपूरणीय क्षति होगी एवं वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि ताफैसला अपील विवादित आराजी को अन्य रहन, बेचान, मुन्तकिल नहीं करने एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे।	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 08.07.2019 को अन्तरिम स्थगन आदेश देते हुए विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये तथा दिनांक 13.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की इस आपत्ति की प्रार्थीगण शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं करके अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में परेशान कर रहे है। अप्रार्थीगण के उक्त कथन के आधार पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि प्रार्थीगण,शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश देते एवं नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी से पेश करने की हिदायत देते। आदेश दिनांक 13.09.2019 के आदेश से विवादित आराजी रहन, बय व मुन्तकिल हो जाती है तो प्रथम दृष्टया अपीलांट को क्षति होगी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.09.2019 विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 13.09.2019 को निरस्त किया जाता हैं तथा आदेश दिनांक 08.07.2019 को यथावत् रखा जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में शेष रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस करावें एवं उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 60 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

25/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर